

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F 26(4)()VC/PMMVY/ICDS/2017/

59012-382

दिनांक : 16-4-2018

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी
समेकित बाल विकास सेवाएँ
समस्त

जिला आरसीएचओ
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
समस्त

बीसीएमएचओ
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
समस्त

विषय:- दिनांक 19.04.2018 को दोपहर 2.15 से 4.00 बजे तक आयोजित वी.सी. के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि नियमित टीकाकरण, मिशन इन्द्रधनुष तथा PMMVY योजना की समीक्षा हेतु दिनांक 19.04.2018 को दोपहर 2.15 से 4.00 बजे तक वी.सी. आयोजित की जा रही है। वी.सी. का एजेण्डा निम्नानुसार है :-

1. नियमित टीकाकरण
2. मिशन इन्द्रधनुष
3. जिला स्तर पर PMMVY सैल की समीक्षा।
4. फ्लेक्सरी फण्ड के तहत डेटा फार्म फीडिंग की प्रगति।
5. ऑफ लाईन फार्म की स्थिति।
6. सीडीपीओ द्वारा पेन्डिंग अनुमोदन फार्मस् की समीक्षा।

उक्त वी.सी. में विभाग की ओर से जिला स्तर पर उपनिदेशक, मबावि, तथा ब्लॉक स्तर पर समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा भाग लिया जायेगा। एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 तथा 2 पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ संयुक्त रूप से चर्चा होगी इसलिए जिला स्तर जिला आरसीएचओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा ब्लॉक स्तर बीसीएमएचओ, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी भाग लिया जायेगा। जिला स्तर पर वी.सी. DOIT के वी.सी. रूम में तथा ब्लॉक स्तर पर वी.सी. पंचायत समिति पर अटल सेवा केन्द्र में आयोजित होगी।


आयुक्त

समेकित बाल विकास सेवाएँ
राज. जयपुर


क्रमांक : F 26(4)()VC/PMMVY/ICDS/2017/

59382-387

दिनांक : 16-4-2018

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजकर निवेदन है कि वी.सी. में संबंधित चिकित्सा अधिकारियों को पूर्ण तैयारी के साथ भाग लेने हेतु निर्देशित करावे।
4. निजी सचिव, आयुक्त, आईसीडीएस
5. कार्यक्रम निदेशक (टीकाकरण), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
6. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाइट पर डालने हेतु।


(बिन्दु करुणाकर)

राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/
अतिरिक्त निदेशक (आई)